



ठअ फर्ड अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री पूनमसिंह राठौड

कनिष्ठ सहायक

निवासी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

स्वरूप विलास परिसर सिरौही।


किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 65 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 22.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला मुख्यालय सिरौही पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा राजकीय कर्मचारियों को राजकीय आवास आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उनके कार्यालय द्वारा अलग-अलग आवेदन पत्र देकर व बिना किसी प्राथमिकता के कर्मचारियों को आवास आवंटित किए जाते हैं। इस संबंध में सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 22.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला मुख्यालय सिरौही पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा राजकीय कर्मचारियों को राजकीय आवास आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उनके कार्यालय द्वारा अलग-अलग आवेदन पत्र देकर व बिना किसी प्राथमिकता के कर्मचारियों को आवास आवंटित किए जाते हैं। इस संबंध में सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 507 दिनांक 09.09.2021 को अपीलांत को दे दी गई है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	


(भगवन् प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

